राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .. 137 / 2017...............................जिला...........जयपुर..

मैसर्स पी.टी.टर्नस लि0, वी.के.आई.एक्सेटेंशन, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14 / 2 / 2017	**खण्डपीठ कैप जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''**कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 26.08.2016 के विरूद्ध केन्द्रिय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 के तहत प्रस्तुत की गयी है। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी फर्म का वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र एफ की छाया प्रतियों को अस्वीकार किया है। उनका कथन है कि उनके द्वारा जॉब वर्क किया जाता है। सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा कायम मांग राशि अन्तर कर रूपये 51,10,468 / – एंव ब्याज राशि रू0 24,27,472 / – को अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अंकित तोतूका व विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन के बैद उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा कायम कुल मांग राशि रूपये 75,37,940 / – को कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उनके द्वारा निवेदन किया गया व्यवहारी का पिछले वर्षो का कर निर्धारण आदेश राज्य के बाहर के व्यवहारियों का जॉब वर्क किये जाने के आधार पर नियमित रूप से कर निर्धारण आदेश पारित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कथन किया कि वे **मूल एफ फॉर्म प्रस्तुत** कर देंगें। मांग राशि केवल एफ फार्मों की अप्रस्तुती की वजह से है। इसके विपरीत उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का पुरजोर समर्थन किया। अतः सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। लगातार...............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .. 137 / 2017..............................जिला...........जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~20/10/2016~~ 14.2.2017	उभयपक्षीय बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा जॉब वर्क का कार्य किया जाता है। इसके लिये वांछित एफ फॉर्म की वजह से मांग सृजित हुई है, जिसके लिये उक्त प्रपत्र एकत्र करने में समय लगने का औचित्य है। अतः प्रथम दृष्टया अन्तर कर एवं ब्याज के बिन्दु पर सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तर कर राशि रूपये 51,10,468/– एंव ब्याज राशि रू0 24,27,472/–की वसूली पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे ~~एवं शेष राशि जमा करायेंगे~~। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सशक्त अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक 28.6.2017 को खण्डपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष पेश हो। निर्णय सुनाया गया। 14.2.2017 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	